

ग्राम-वेहडा सादात द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 12-11-2009 के अन्तर्गत पर
 प्रारम्भ की गयी। जिसमें उल्लेख किया गया है कि ग्राम-वेहडासादात निम्न
 खारा नम्बर 1019/2 सि रकबा 1-0510 हे। का कुल एक व हिस्सा 2/5 भाग
 व खारा नम्बर 1020/1 सि रकबा 0-3470 हे। का कुल एक व हिस्सा 2/5 भाग
 भाग व खारा नम्बर 964/2 रकबा 0-0310 हे। व खारा नम्बर 964/1 रकबा
 0-0510 हे। कुल दो हिस्से रकबा 0-1020 हे। का कुल एक व हिस्सा 1/2 भाग
 व खारा नं० 964/4 रकबा 0-590 हे। कुल व खारा नं० 1020 रकबा 2-2480 हे।
 का कुल एक व हिस्सा 1/2 भाग का वादी संग्रामोपय भूमिधर तथा वर्तमान में
 जल भूमि में कोई ह्रास नहीं हो रहा है। वादी की जल भूमि वीके पर
 वाली पट्टी हुई है एवं वीके पर निजकी धारदातारी हुई है तथा जिसका उपयोग
 आबादी के रूप में हो रहा है। अतः वादी द्वारा जल भूमि को धारा-143के
 के अन्तर्गत अधिधिक भूमि घोषित करने हुए जल अधिधरामत नजला अधिधरों में
 दिखे जाने की प्रार्थना की गयी।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार जानसद ने जीव अख्य प्रार्थना की गयी।
 तहसीलदार जानसद ने अपनी आख्या दिनांक 12-11-2009 में अग्रज खारा है
 कि ग्राम-वेहडासादात की खतीनी वर्ष 1410 से 1415 पसली के खारा सं० 384
 के खारा संख्या-964/4 रकबा 0-059 हे। लगान 1-45 पैसे के पूर्ण भाग पर व
 खाता सं० 389 के खारा सं० 1019/2म रकबा 1-051 हे। लगान 31-78 पैसे के पूर्ण
 भाग पर पीतमसिंह विशा प्रसार समिति ग्राम वेहडासादात का नाम संग्रामोपय
 भूमिधर के रूप में अंकित है। खतीनी पसली वर्ष 1410 से 1415 के खारा सं० 514
 के खारा नं० 964/2 रकबा 0-051 हे। व 964/1 रकबा 0-051 हे। कुल 2 हिस्से
 0-102 हे। लगान 2-50 पैसे के 0-034 हे। क्षेत्र पर व खाता सं० 178 के खारा
 सं० 1020/1 रकबा 0-347 हे। लगान 12-10 पैसे के कुल क्षेत्र में से 0-279 हे। पर
 पीतमसिंह विशा प्रसार समिति ग्राम वेहडा सादात का नाम संग्रामोपय भूमिधर
 वाले भूमिधर के रूप में अंकित है तथा खारा सं० 964/2 व 964/1 तथा 1020/1
 के क्षेत्र क्षेत्र पर गजेन्द्र कुमार पुत्र जयपालसिंह निवासी ग्राम का नाम खतीर
 संग्रामोपय भूमिधर के रूप में अंकित है। इस प्रकार खाता संख्या-514 व खाता सं०
 178 के गजेन्द्र कुमार पुत्र जयपालसिंह निवासी ग्राम व पीतमसिंह विशा प्रसार
 समिति ग्राम वेहडा सादात तहसीलदार है। गजेन्द्र कुमार पुत्र जयपालसिंह नि०
 ग्राम द्वारा शमधर सिंह अपना लिखित ज्ञान प्रस्तुत किया है। अपने संलग्न
 ज्ञान व शमधर में यह उल्लेख किया है कि पीतमसिंह विशा प्रसार समिति ग्राम
 वेहडासादात के प्रार्थनापत्र पर खारा सं० 964/2 व खारा सं० 964/1 के रकबा
 0-034 हे। तथा खारा सं० 1020/1 के क्षेत्र 0-279 हे। क्षेत्र पर आबादी
 घोषित करने पर उसे कोई आपत्त नहीं है।

ग्राम-वेहडा सादात की खतीनी वर्ष 1410 से 1415 पसली के
 खाता संख्या-72 के खारा संख्या-1020म रकबा 2-248 हे। के 0-717 हे। क्षेत्र पर
 पीतमसिंह विशा प्रसार समिति ग्राम वेहडा सादात व 1-431 हे। क्षेत्र पर खतीर
 सिंह, सुधीर कुमार, भगवती रीसिंह पुत्र गण पीतमसिंह नि० ग्राम का नाम संग्रामोपय
 भूमिधर के रूप में खतीर तहसीलदार अंकित है तथा उनके द्वारा प्रस्तुत ज्ञान व
 शमधर में उल्लेख किया गया है कि खारा संख्या - 1020म के दक्षिणी भाग पर जल
 अधिधरों में

ग्राम-वेहडा सादात की खतीनी वर्ष 1410 से 1415 पसली के
 खाता संख्या-72 के खारा संख्या-1020म रकबा 2-248 हे। के 0-717 हे। क्षेत्र पर
 पीतमसिंह विशा प्रसार समिति ग्राम वेहडा सादात व 1-431 हे। क्षेत्र पर खतीर
 सिंह, सुधीर कुमार, भगवती रीसिंह पुत्र गण पीतमसिंह नि० ग्राम का नाम संग्रामोपय
 भूमिधर के रूप में खतीर तहसीलदार अंकित है तथा उनके द्वारा प्रस्तुत ज्ञान व
 शमधर में उल्लेख किया गया है कि खारा संख्या - 1020म के दक्षिणी भाग पर जल
 अधिधरों में



पीतम सिंह विशा प्रसार समिति
 वेहडा सादात (मुजफ्फरनगर)

प्रधान
 पीतम सिंह विशा प्रसार समिति
 वेहडा सादात (मुजफ्फरनगर)

प्रस्ताव करीब काबूलदार है तथा जमाती भाग में 0-717 है। पर पीएलसी विद्या प्रसार समिति ग्राम देहडासादात द्वारा जमीन में दी गई है। पीएलसी आदि के तहत 1000 और जलेश विद्या गंगा है कि जमाती में 1099 म के 0-717 है। देहडासादात पीएलसी विद्या प्रसार समिति ग्राम देहडासादात का जमाती में जमाती जो दिया जाने पर उन्हें कोई जमाती नहीं है। जमाती के अंतर्गत देहडासादात नम्बर 964/4 खता 0-059 है। के पूर्व भाग पर त तथा खता नं 964/2 म व 964/1 म के 0-036 है तथा खता नं 1099 म के 0-717 है म खता नं 1020/1 म खता 0-279 है। पर पीएलसी विद्या प्रसार समिति ग्राम देहडासादात द्वारा धार प्राप्त जमाती धारदारों की निर्माण का किया गया है तथा धारदारों के अन्दर प्रत्येक भूमि जमाती में जमाती के रूप में प्रकृत है जिसमें कृषि होने की सम्भावना नहीं है। अतः प्रत्येक में प्रत्येक भूमि पर विद्या प्रसार समिति विद्या जमाती प्रस्तावित है। अतः जमाती के आधार पर प्रत्येक भूमि को पीएलसी विद्या प्रसार समिति ग्राम देहडासादात के पास में जमाती धारदार अधिनियम की धारा-143 के अन्तर्गत कृषि भूमि जो दी गई है। अतः संस्तुति का किया जायेगी है।

जमाती पर जलेश करीबदार जमाती की आख्या विनांक 13-11-2009, निम्न 135 के प्रस्ताव पर प्रकृत आख्या, जमाती करीब 1410/1415 परतीका अन्तर्गत जमाती परतीका विद्या। जमाती करीबदार जमाती की आख्या तथा जमाती धार पर जलेश अधिनियम का प्रस्ताव खता नं 964/4 खता 0-059 है, खता नं 1019/2 खता 1-0510 है, खता नं 964/2 खता 0-017 है व खता नं 964/1 म खता 0-017 है, खता नं 1099 म खता 0-7170 है, खता नम्बर 1020/1 म खता 0-279 है। प्रस्तावित 2-140 है। जमाती प्रकृत पालन, मत्स्यपालन व कृषि प्रयोजन में न आने के कारण कृषि भूमि जो दी गई जमाती जमाती जमाती प्रतीक होता है।

आदेश

अतः जमाती विद्या के आधार पर जमाती देहडासादात परगना-भोकरहेडी के खता संख्या-309 खता 964/4 खता 0-0590 है। जमाती 1-45 म खता नं 389 खता 1019/2 खता 1-0510 है। जमाती 31-70, खता नं 0510 खता नं 964/2 खता 0-017 है व खता 964/1 म खता 0-017 है। जमाती 1-86 म खता संख्या-72 खता नं 1099 म खता 0-7170 है। जमाती 28-05 म खता नं 178 खता नं 1020/1 म खता 0-279 है। जमाती 10-30 म खता 2-140 है। जमाती 71-11 म की जमाती धारदारों की धार अधिनियम की धारा-143 के अन्तर्गत कृषि भूमि जो दी गई है। संस्तुति प्रयोजन जारी है। जमाती अधिनियम के अन्तर्गत जमाती अधिनियम में संशोधन की जायेगी है।

दिनांक 13-11-2009

13/11/09
 जमाती अधिनियम की धारा-143 के अन्तर्गत कृषि भूमि जो दी गई है।



Handwritten signatures and official stamps, including a date stamp '13/11/09' and a signature 'J. Singh'.

Handwritten signature and date '13/11/09'.

Official text at the bottom: 'जमाती अधिनियम की धारा-143 के अन्तर्गत कृषि भूमि जो दी गई है।'